मिशन शक्ति 5.0

महिला थाना

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना मऊदरवाजा

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

1090
Women Power Line

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0

कोतवाली मोहम्मदाबाद

मिशन शक्ति 5.0

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कम्पिल

1930 साइबर हेल्पलाइन
101 अग्निशमन सेवा
112 आपातकालीन पुलिस सेवा
1090 वीमेन पावर लाइन
1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
102
108 एम्बुलेंस सेवा
181 वीमेन हेल्पलाइन
1098 चाइल्ड लाइन

Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना जहानगंज

1090

#Fatehgarhpolice

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 108 181 102 1076 1098 112

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना मेरापुर

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

1090
Women Power Line

1090 108 181 102 1076 1098 112
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान

कोतवाली फर्रूखाबाद

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक - 20.01.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 01 अभियुक्त को अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अर्जुन गिहार पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. अर्जुन गिहार पुत्र खुशीराम निवासी महरूपुररावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 19.01.2026 को स्थानीय पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अभियुक्त अर्जुन गिहार पुत्र खुशीराम निवासी महरूपुररावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद कर गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अर्जुन गिहार उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अर्जुन गिहार उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपने जुर्म की मांफी मांगते हुए अपने बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त अर्जुन गिहार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 272/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

2- मु0अ0सं0 10/23 धारा 60 आबकारी अनियम थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

3- मु0अ0सं0 286/2023 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना कमलागंज जनपद फतेहगढ़।

4- मु0अ0सं0 289/2023 धारा 392/411 भा0द0वि थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

5- मु0अ0सं0 290/2023 धारा 41/392/411/413 भा0द0वि थाना कमालगंज फतेहगढ़।

6- मु0अ0सं0 153/2024 धारा 115(2)/191(2)/324(4)/324(5)/333/352 बीएनएस थाना कमालगंज

7- मु0अ0स0 81/2025 धारा 3(1) गैगस्टर अधिनियम थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

8-मु0अ0सं0 20/2026 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01. एक तमंचा 315 बोर

02. दो जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार
2. हे0का0 नरेन्द्र कुमार
3. का0 शेखर कटारिया
4. का0 मोहन लाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 20.01.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 06/26 धारा 9 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को नीलगाय मारने में प्रयोग की गई एक बंदूक टोपीदार व एक बंडल में दस रांगा के टुकडे व बारूद सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2026 धारा 9 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाम अज्ञात में मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त गोपाल पुत्र स्व0 मान सिंह निवासी ग्राम सवरो थाना बाडी जनपद सवाई माधोपुर राजस्थान अस्थायी पता पता जमालीपुर पनहार थाना व जनपद औरैया के कब्जे से नीलगाय मारने में प्रयोग की गई एक बंदूक टोपीदार व एक बंडल में दस रांगा के टुकडे व बारूद सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01.गोपाल पुत्र स्व0 मान सिंह निवासी ग्राम सवरो थाना बाडी जनपद सवाई माधोपुर राजस्थान अस्थायी पता जमालीपुर पनहार थाना व जनपद औरैया।

घटना का विवरणः- वादी श्री राहुल सक्सेना (वन दरोगा) फर्रूखाबाद रेंज सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात शिकारियों द्वारा ग्राम दुर्गपुर के पास खेतों में चार नीलगाय (एक नर, तीन मादा) को शिकार कर मार डालने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 06/2026 धारा 9 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाम अज्ञात शिकारी पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त गोपाल उपरोक्त के कब्जे से से नीलगाय मारने में प्रयोग की गई एक बंदूक टोपीदार व एक बंडल में दस रांगा के टुकडे व बारूद सहित गिरफ्तार कर अभियोग उपरोक्त में धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त गोपाल से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह गांव-गांव घूमकर खेतों से नीलगाय भगाने का काम करके अपने बच्चो का पालन पोषण करता हूँ। ये लाइसेन्सी बन्दूक मेरे चाचा की जिसको में उनसे बिना पूछे ले आया था। पैसो के लालच में मैने नीलगाय पर फायर कर दिया था तथा अपने किये की माँफी मांगने लगा।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक बंदूक टोपीदार
02. एक बंडल में अदद रांगा के टुकडे व बारूद

अभियुक्त गोपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0 06/26 धारा धारा 9,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 27/30 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल सिकरवार
2. का0 अजय तेवतिया
3. का0 अंकुल कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

मिशन शक्ति 5.0

#OperationConviction

थाना शमसाबाद

दि0-20.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 5.0 " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सलमान उर्फ भूरा पुत्र अनोखे उर्फ अनवर निवासी ग्राम पपडी थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 130/2017 वाद संख्या 60/2017 धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय पाक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 20.01.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी - श्री विकास कटियार

को0 मो0 म0का0 चाँदनी

पैरोकार - हे0का0 राजेश कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दि0-20.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. जहरुद्दीन पुत्र अलीशेर 2. काढी उर्फ रुखसाना पत्नी सकरुद्दीन निवासीगण सुल्तानपुर पलनापुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 299/2017 वाद संख्या 118/2018 धारा 306 भा0द0वि0 थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2026 को अभियुक्त गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

डीजीसी - श्री सुदेश प्रताप गंगवार

एडीजीसी - श्री पंकज कटियार

को0 मो0 हे0का0 सुदेश यादव

पैरोकार - हे0का0 अमन गौतम